न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :— जगदीश प्रसाद गौड़,
आर.ए.एस.

अपील संख्या :— 38 / 2021

राजदेव उर्फ राजीव कुमार पुत्र प्रताप जाति मेघवाल, निवासी कुहाड़वास, तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू।
— अपीलान्ट—

—बनाम—

सरकार जरिये नायब तहसीलदार, बुहाना, जिला झुन्झुनू।
—रेस्पोडेन्ट—

अपील खिलाफ निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना
उनवानी सरकार बनाम राजदेव अं0धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956
मुकदमा नम्बर 10 / 2021 निर्णय दिनांक 08.06.2021

उपस्थिति :—

1. श्री राजेश पुनियां, अधिवक्ता ——————————अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी, अधिवक्ता ———————— रेस्पोडेन्ट की ओर से।

— निर्णय — दिनांक 30.06.2022

उक्त अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 08.06.2021 उनवानी प्रकरण सरकार बनाम राजदेव मुकदमा नम्बर 10 / 2021 अं. धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है — कि पटवार हल्का कुहाड़वास ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नम्बर 904 / 365 कुल रकबा 17.17 हैक्टर किस्म बजंड़—2 में से 0.015 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट द्वारा पक्का निर्माण कार्य कर अवैध अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 की कार्यवा[illegible] अपीलान्ट के खिलाफ बेदखली के आलौच्य आदेश दिनांक 08.06[illegible] भूमि पर विकास अधिकारी पंचायत समिति बुहाना [illegible] अपीलान्ट [illegible] पिता श्री

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:56:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

प्रताप पुत्र मातुराम मेघवाल के नाम पर बहुत पहले जारी किया गया था। मौजूदा प्रकरण में तथाकथित अतिक्रमण स्थल के बाबत अपीलान्ट के पिता श्री प्रताप पुत्र मातुराम मेघवाल के विरूद्ध अदालत मातहत तत्कालिन अतिरिक्त तहसीलदार बुहाना के यहां धारा 91 एल. आर. एक्ट 1956 के तहत मुकदमा नम्बर 03/1997 उनवानी सरकार बनाम प्रतापसिंह चला जिसमें दिनांक 21.05.1998 को अदालत मातहत ने पट्टे के आधार पर प्रकरण ड्राप किये जाने के आदेश पारित किया गया। कानूनन एक ही प्रकरण में दो बार कार्यवाही नही चल सकती। अदालत मातहत का नोटिस प्राप्त होने पर अपीलान्ट ने दिनांक 08.06.2021 को उपस्थित होकर जबाब नोटिस पेश किया जिसमें विवादित भूमि का अपने पिता के नाम जारी पट्टे व मुकदमा नम्बर 03/1997 में पारित निर्णय दिनांक 21.05.1998 की प्रति प्रस्तुत की। अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2021 में अपीलान्ट द्वारा पेश जबाब नोटिस बाबत कोई विवरण दर्ज नही किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत पेश जबाब पर ध्यान दिये बिना ही बिना जांच एवं मौका रिपोर्ट के आलौच्य निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का काफी पुराना कब्जा है तथा अपीलान्ट के पास अपने पिता के नाम विकास अधिकारी पंचायत समिति बुहाना द्वारा जारी पट्टा है। तथा पूर्व में इसी भूमि पर प्रार्थी/अपीलान्ट के पिता के नाम पर दर्ज प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ड्रॉप किया गया है। विवादित भूमि पर करीब 100–150 परिवार आबाद है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से विपरित जाकर अवैध और शून्य आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि पटवार हल्का कुहाड़वास ने [illegible] प्रस्तुत की कि ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नम्बर 904/365 कुल [illegible] हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चोब रकबा 0.22 हैक्टर बंजड़–2 कुल [illegible] भूमि में से 0.015 हैक्टर भूमि पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:56:04 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
झुंझुनूं

अपीलान्ट ने पक्का निर्माण कार्य कर अवैध अतिक्रमण किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा अपीलान्ट को नोटिस जारी किया गया। अपीलान्ट ने नियत तारीख पेशी पर जबाब नोटिस तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति बुहाना द्वारा अपीलान्ट के पिता के नाम जारी पट्टा प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शामिल पत्रावली किया गया। इसके बाद दिनांक 08.06.2021 को अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जबाब नोटिस व साक्ष्य सबुतों को बिना सुने ही निर्णय पारित कर दिया एवं अपीलान्ट के खिलाफ बेदखली के आदेश पारित कर दिये। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही बिना जांच एवं मौका रिपोर्ट के आलौच्य निर्णय पारित किया है। विवादित भूमि पर अपीलान्ट का काफी पुराना कब्जा है तथा अपीलान्ट के पास विकास अधिकारी पंचायत समिति बुहाना द्वारा अपीलान्ट के पिता के नाम जारी पट्टा है। विवादित भूमि पर करीब 100–150 परिवार आबाद है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों से विपरित जाकर अवैध और शून्य आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि अपीलान्ट ने ग्राम कुहाड़वास स्थित भूमि खसरा नम्बर 904/365 कुल रकबा 17.17 हैक्टर किस्म गैर मुमकिन चोब रकबा 0.22 हैक्टर बंजड़–2 कुल रकबा 16.95 हैक्टर भूमि में से 0.015 हैक्टर भूमि पर अपीलान्ट ने पक्का निर्माण कार्य कर अवैध अतिक्रमण किया है। पटवारी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत अपीलान्ट को सुना जाकर विधि सम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारीज की जावे।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रकरण में अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विवादित भूमि पर अपने कब्जे के संबंध में विकास अधिका[illegible] अपीलान्ट के पिता के नाम जारी पट्टा प्रस्तुत किया गया है [illegible] 365/2 के संबंध में पूर्व में अपीलांट के पिता प्रताप सिं[illegible] धारा 91 की कार्यवाही

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:56:04 IST
Reason: SelfAttested

विकास अधिकारी पंचायत समिति बुहाना द्वारा जारी पट्टे के आधार पर धारा 91 की कार्यवाही ड्रोप की गई है। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा अपने निर्णय में उक्त ड्रोप कार्यवाही एवं पट्टे को नहीं मानने के संबंध में कोई फाईडिंग अपने निर्णय में नहीं दी है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन बंजड–2 है। विवादित भूमि पुराने कब्जे के आधार पर नियमन योग्य क्यों नही है इसके बारे में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना द्वारा निर्णय में कोई स्पष्ट फाईडिंग नही दी। अपीलांट का कथन है कि उसे सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया। ऐसी सूरत में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना द्वारा पारित निर्णय दिनांक 08.06.2021 उनवानी सरकार बनाम राजदेव मुकदमा नम्बर 10/2021 निरस्त किया जाता है। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बुहाना को इन निर्देशों के साथ प्रतिपेषित की जाती है वे प्रकरण की पुनः सुनवाई कर विवादित भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण करे तथा अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात की पूर्ण विवेचन करते हुये पुनः विधिसम्मत कार्यवाही करे। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जगदीश प्रसाद गौड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2022.07.04 12:56:04 IST
Reason: SelfAttested